Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार बनाम श्रीमती विमला उर्फ कमला आदि

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970

प्रकरण संख्या– 43/2015 जीरीएमएस प्र0सं0– 2015/00104

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
22.10.2024	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार राज व वकील अप्रार्थी संख्या 6 हाजिर। पत्रावली पेश हुई। पैरोकार राज व वकील अप्रार्थी संख्या 6 हाजिर। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 व 5 की तलवी हेतु पैरोकार राज को बार–बार हिदायत देने के उपरांत भी उनके द्वारा आदेशानुसार तलवी पेश नहीं की गई है। फिर भी प्रकरण का निर्णय पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर करना उचित समझते है। पैरोकार राज ने प्रकरण में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से चक 2 एसएमआर व 3 एसएमआर में 24.14 बीघा अनकमाण्ड भूमि आरजी काश्त पर आवंटित थी जो मिसल न. 183/81 निर्णय दिनांक 19.12.1986 द्वारा उक्त दोनो चकों का 24.14 बीघा रकबा पुख्ता आवंटन हो गया। उस समय अप्रार्थी संख्या 2 विवाहित था। उसने अपने परिवार के तमाम सदस्यों की भूमि का विवरण आवंटन फार्म में नहीं दिया। इसलिए यह रकबा खारिज योगय है। इसके अलावा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम की अन्य भूमि भी, जो इस रकबा के बाद में प्राप्त हुई, को खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 6 के अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के साथ– साथ लिखित बहस के तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि चक 2 एसएमआर व 3 एसएमआर का 24.14 बीघा अनकमाण्ड रकबा प्रथम बार दिनांक 15.09.1977 को टीसी आवंटन हुआ था। आवंटी ने किसी भी तथ्यों को नहीं छुपाया। इससे पूर्व अप्रार्थी संख्या 2 के पास केवल 4.00 बीघा कमाण्ड रकबा था। इसलिए वह 21.00 बीघा कमाण्ड/42.00 बीघा अनकमाण्ड रकबा का हकदार था। तत्पश्चात उसे दिनांक 19.02.1986 को उक्त 24.14 बीघा रकबा पुख्ता आवंटन हुआ व इस रकबा के खातेदारी अधिकार जारी होने के बाद दिनांक 18.06.2010 को जगदीश ने राधाकृष्ण व जसराम को बेचान कर दिया व राधाकृष्ण एवं जसराम ने दिनांक 06.06.2011 को उक्त रकबा राधा को बेचान कर दिया व राधा ने उक्त रकबा दिनांक 23.12.2013 को अप्रार्थी संख्या 6 को बेचान कर कब्जा सौंप दिया। राजस्व रिकार्ड में उक्त रकबा अप्रार्थी संख्या 6 के नाम खातेदारी दर्ज चला आ रहा है। आवंटी ने किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है तथा रकबा खातेदारी हुए अर्सा दराज हो गया है। न्यायिक दृष्टां आरआरडी 1993 पेज 596 व आरबीजे 2001 पेज 353, आरबीजे 2009 पेज 177, आरबीजे 2020 पेज 765 की ओर ध्यान दिलाया एवं शिकायत प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। शिकायत में वर्णित रकबा का टीसी आवंटन दिनांक 15.09.1977 है व टीसी से पुख्ता आवंटन दिनांक 19.02.1986 है। उक्ता रकबा की खातेदारी होने के बाद में रकबा का तीन बार बेचान हो चुका है। कब्जा मौका पर अप्रार्थी संख्या 6 का होना स्वीकार्य तथ्य है। अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत अनुसार रकबा के खातेदारी अधिकार जारी होने बाद तथा आवंटन में छल या मिथ्याकरण का मामला ना हो एवं आवंटन 25 वर्ष से ज्यादा पुराना हो तो आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थी ने इस प्रकरण मे ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे शिकायत की पुष्टि होती हो। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है तथा आदेशिका दिनांक 24.06.2015 द्वारा जारी एकतरफा स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। निर्णय की पालना/आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति तहसीलदार सूरतगढ को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (कन्हैयालाल सोनगरा) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ (श्री गंगानगर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:37:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner